

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक...../पटना, दिनांक.....
03/सह0ब0यो0 (आवंटन)-02/2026

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य में खरीफ विपणन में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापार मंडलों को पुराने गनी बैग मद में किसानों को ₹ 25/- (पच्चीस रु०) प्रति क्विंटल (धान) के भुगतान के लिए ₹15/- (पन्द्रह रु०) प्रति क्विंटल (धान) की दर से प्रतिपूर्ति अनुदान राशि के रूप में प्रबंधकीय अनुदान मद में रु० 48,22,40,091/- (अड़तालीस करोड़ बाईस लाख चालीस हजार इक्यानवे) मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-116, दिनांक-22.05.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अंतर्गत अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान मद में कॉलम-03 में अंकित राशि का आवंटन दिया जाता है:-

क्र. सं.	बजट शीर्ष	आवंटित राशि (रूपये में)
1	2	3
1.	मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425-सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-107-क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष-0106-अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान, विपत्र कोड- 09-2425001070106, विस्तृत शीर्ष-31-सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-06-सहायक अनुदान-गैर वेतन।	40,50,81,676/-
2.	मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425-सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0101-अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान, विपत्र कोड- 09-2425007890101, विस्तृत शीर्ष-31-सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-06-सहायक अनुदान-गैर वेतन।	7,71,58,415/-

2. उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग के पत्र सं०-236/वि०, दिनांक-09.03.2026 के अंतर्गत बिहार विनियोग (संख्या-02) अधिनियम, 2026 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-314/वि०, दिनांक-01.04.2026 के आलोक में दिया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 में निहित शर्तों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यक होगा।



3. आवंटित राशि का नियमानुसार व्यय करते हुए उक्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/—

(अभय कुमार सिंह),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—...../पटना, दिनांक—.....
प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार, को मुहरबंद लिफाफा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक— ०५(आ०)...../पटना, दिनांक— २५/०५/२६.....
प्रतिलिपि:— निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना/उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/विभ्रमीय आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।